

231522 पञ्जाबी पेशा उई। वकील शर्मा उप।
वकील शर्मा को जना गया। वकील शर्मा
ने बताया कि न्यायालय द्वारा दिनांक
17/4/2018 को पारित अन्तरिम आदेशों
निषेधात्मक का कठिना प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित
मूल अपील के निर्णय तक कन्फर्म किए
जाने का निर्देश दिया। वकील शर्मा के बारे
में मीट पर विचार किया गया।

अतः न्यायालय द्वारा दिनांक
17-4-18 को पारित अन्तरिम आदेशों मूल
अपील के निर्णय तक कन्फर्म रिया जाता
है। तथा उभय पक्ष को पब्लिश रिया गता
है कि श्री ख.नं. 303 सिटम चाणगाह रुकबा में से
0.0142 ई तनग्रम चीपलाटा के मंडे की मूल
अपील के निर्णय तक यथावधि चलाये रहें।
पञ्जाबी फेडल शुमार होमट नम्बर से रु
होमट दारिजल दफ्तर है।

(निमित्त शुमार)

निमित्त शुमार
निमित्त शुमार
निमित्त शुमार

